

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

लादू पिता चंद्रा रेगर निवासी जहाजपुर  
बनाम

प्रेम देवी पत्नी परमेश्वर लाल अग्रवाल निवासी जहाजपुर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 17 /2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
02-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम बिन्ध्याभाटा प.ह. बिन्ध्याभाटा आराजी सं. 4099, 4109, 4111, 4375/4075 कुल किता 04 रकबा 2.2256 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है  </p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एकट स्वीकार जाता है ग्राम बिन्ध्याभाटा प.ह. बिन्ध्याभाटा आराजी सं. 4099, 4109, 4111, 4375/4075 कुल किता 04 रकबा 2.2256 हेक्टेयर भूमि स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है   कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/17/2024

दिनांक- 02/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर.

विषय:- प्र.सं. 17 / 2024 अनवान लादू पिता चंद्रा रेगर निवासी जहाजपुर बनाम प्रेम देवी पत्नी परमेश्वर लाल अग्रवाल निवासी जहाजपुर, अनीता पत्नी सोजीराम मीणा निवासी मातोलाई, संतोक पत्नी रामस्वरूप मीणा निवासी पाँचा का बाड़ा, जानकी देवी पत्नी रामनिवास मीणा निवासी पाँचा का बाड़ा, अनीता देवी पुत्री भंवरलाल मीणा निवासी घाटी का बाड़ा, भंवरलाल पिता कन्हैयालाल धोबी निवासी जहाजपुर की पत्थरगद्दी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित उनवान के प्रकरण में ग्राम बिन्ध्याभाटा प.ह. बिन्ध्याभाटा आराजी सं. 4099, 4109, 4111, 4375/4075 कुल किता 04 रकबा 2.2256 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक जहाजपुर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा